**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2272**

**06 दिसंबर, 2016 को उत्तर के लिए**

**सैनिकों की निःशक्तता पेंशन में कटौती**

**2272. श्री हरिवंश :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1. क्या यह सच है कि सैनिकों की निःशक्तता पेंशन में कटौती करने का फैसला लिया गया है, यदि हां, तो सरकार ने यह फैसला किस आधार पर लिया है;
2. क्या इस फैसले से सेना के जवानों के मनोबल पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा; और
3. क्या सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का मन बना रही है ?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क) से (ग): सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) ने निम्नलिखित निःशक्तता पेंशन की सिफारिश की है:-

आयोग का सुविचारित दृष्टिकोण है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के बाद कार्यान्वित की गई प्रणाली को बंद करने की जरूरत है और उन्होंने स्लैब आधारित प्रणाली वापस लाने की सिफारिश की है । शतप्रतिशत निःशक्तता के लिए निःशक्तता अंश हेतु स्लैब की दरें इस प्रकार होंगी:-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **रैंक** | **स्तर** | **प्रतिमाह दर (भारतीय रु.)** |
| सेवा अफसर | 10 और इससे अधिक | 27000 |
| मानद कमीशन प्राप्त अफसर |
| सूबेदार मेजर/समतुल्य | 6 से 9 | 17000 |
| सूबेदार/समतुल्य |
| नायब सूबेदार/समतुल्य |
| हवलदार/समतुल्य | 5 और इससे कम | 12000 |
| नायक/समतुल्य |
| सिपाही/समतुल्य |

उपर्युक्त सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है और तदनुसार दिनांक 30.09.2016 को संकल्प जारी कर दिया गया है ।

तथापि, सिविल पक्ष के लिए प्रतिशतता आधार पर निःशक्तता अंश की गणना की व्यवस्था छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार जारी होने के कारण विसंगति की स्थिति उत्पन्न हो गई है । तदनुसार इस मामले को विसंगति समिति के पास भेजा गया है । सरकार द्वारा विसंगति समिति की सिफारिशों पर निर्णय लिए जाने तक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार भुगतान किया जा रहा निःशक्तता अंश जारी रहेगा ।

\*\*\*\*\*